



भारत सरकार खान मंत्रालय भारतीय खान ब्यूरो,

क्षेत्रीय खान नियंत्रक कार्यालय

द्वितीय तल, जी0 एस0 आई0 फील्ड प्रशिक्षण केन्द्र, महालेखाकार कार्यालय परिसर, पोस्ट-विधानसभा, रायपुर-492005 (छत्तीसगढ़)

फोन एवं फैक्स-0771-2282530, 2285590 ई-मेल: ro.raipur@ibm.gov.in

क्र0- छ०ग० / बलरामपुर / बॉक्साईड / ०७एम०पी०आर० ४२००५

दिनांक:-18 / 12 / 2019

प्रति,

श्री के0 एन0 भंडारी, निदेशक एवं नॉमिनेटेड ओनर, सर्वश्री हिन्डाल्को इंन्डस्ट्रीज़ लिमिटेड, अहूरा सेंटर, प्रथम तल, बी विंग, महाकाली केव्स रोड, अंधेरी (पूर्व), मुम्बई (महाराष्ट्र) — 400 093

विषय:-

छत्तीसगढ़ राज्य के बलरामपुर—रामानुजगंज जिले में स्थित आपकी सामरी बॉक्साईड खदान 2146.746 हे0 में खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 2017 के नियमों के उल्लंघन के संबंध में।

महोदय,

आपकी उपरोक्त खान का निरीक्षण अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक 19/11/2019 को श्री आर0 आर0 पी0 अम्बस्था, ऐजेन्ट (मांईन्स) की उपस्थित में किया गया तथा खान के निरीक्षण के दौरान यह पाया गया कि आपने खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 2017 के निम्नलिखित उपबंधों का उल्लंघन किया है :—

नियम	उल्लंघन के प्रकार का विस्तृत ब्यौरा
Rule	The following deviations have been found in the mine from the approved Modified Mining Plan
11(1)	vide letter no. BLM/BXT/MPLN-1135/2017-RPR Raipur dated 10/01/2019 for the period of F.Y.
	2017-18 to 2018-19:
	<u>F.Y. 2018-19:</u>
	Exploration: It was proposed to drill 1000 nos. of Core Boreholes up to a cumulative depth of
	15000 meters; whereas, 777 nos. of core boreholes have been drilled up to a cumulative depth of
	10735 meters.
	Development: In the approved Modified Mining Plan, there was a proposal given for the
	production and development during the year 2018-19 in-between UTM coordinates
	(1) RP-2: N2592938 to N2593279 and E801954 to E802152
	(2) RP-3: N2593588 to N2593736 and E801955 to E802152
	(3) AT2: N2591284 to N2591570 and E800593 to E800761
	(4) DK2: N2595942 to N2596193 and E799008 to E799239 (5) DK3: N2596214 to N2596364 and E798772 to E798873
	(6) DP3: N2596873 to N2595908 and E798072
	(7) DP4: N259536 to N2596200 and E798072
	Whereas, in addition to the proposed area, the excavation and mineral production has been found
	in between UTM co-ordinates without any approved proposal:
	(1) N2596290 to N2596365 and E798075 to E798140
	(2) N2596040 to N2596210 and E799225 to E799350
	(3) N2596150 to N2596200 and E799375 to E799450
	(4) N2595940 to N2596175 and E799450 to E799610
	(5) N2591565 to N2591880 and E801875 to E802100
Rule 14	Laterite with 26.86% Al2O3 reported as Mineral Reject under Part V of Annual returns for F.Y.
(1) & (2)	2018-19, should be stacked separately as it has been notified as Bauxite under Category of
	Aluminous Laterite vide Gazette Notification for Threshold value of Mineral through Notification
	No. C-284/3/CMG/2017, Nagpur dated 25/04/2018 of Ministry of Mines (Indian Bureau of
	Mines).
Rule	Annual Return F.Y. 2018-19:
45(7)	Part-I: 12. Lease area (surface area) utilisation as at the end of year:
	As per approved Modified Mining Plan, 74.272 Ha. lease area has been considered for calculation
	of Financial Assurance up to the end of the Plan Period whereas, 432.203 Ha area has been utilized
	till the end of F.Y. 2019-20
	Financial Assurance in the form of Bank Guarantee for the excess used 357.931 Ha. lease area has
	to be submitted under rule 27(1) of MCDR, 2017 to the authorized officer.

नियम	उल्लंघन के प्रकार का विस्तृत ब्यौरा
Rule	Part-II A; Capital Structure: Value of Fixed Assets has been given similar to another mining
45(7)	leases i.e. 07CHG16003 (1218.762 Ha.) and 07MPR42004 (377.116 Ha.).
	Part – III; Consumption of Materials; 2. Royalty and Rents (in ₹): 4. Value of depreciation on
	fixed assets (in ₹) has been given similar to another mining leases i.e. 07CHG16003 (1218.762
	Ha.) and 07MPR42004 (377.116 Ha.).
	Part VI; (Production, Dispatches And Stock):
	Details of the Sales/Dispatches effected for Domestic Consumption is incomplete, hence, IBM
	Registration, Name of the Consignee and Dispatched Quantity (in tonne) may be mentioned.
	Part – VII; Cost Of Production: Value of depreciation has been given similar to another mining
	leases i.e. 07CHG16003 (1218.762 Ha.) and 07MPR42004 (377.116 Ha.)

- 02. इस संदर्भ में आपका ध्यान आकर्षित किया जाता है कि उपरोक्त नियमों का उल्लंघन खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 2017 के नियम 62 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है एवं इस नियम का उल्लंघन की अनुपालन नहीं होने पर खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 2017 के नियम 11(2) एवं 45(7) के अंतर्गत:—
 - (क) खान की समस्त खनन संक्रियाएं बंद की जा सकती है।
 - (ख) आपके विरूद्ध अभियोग याचिका दायर किया जा सकता है।
 - (ग) खनन पट्टे को निरस्त करने की सिफारिश राज्य सरकार से की जा सकती है।
- 03. अतः आपको सलाह दी जाती है कि आप उपराक्त उल्लंघनों का अतिशीघ्र सुधार करें एवं इसके सुधार की सूचना इस पत्र के जारी होने से 45 दिन के भीतर इस कार्यालय को सूचित करें।

भवदीय

(शैवाल कार्तिकेय) कनिष्ठ खनन भूविज्ञानी, भारतीय खान ब्यूरो, रायपुर

प्रतिलिपिः सूचनार्थ हेतु :-

- 1. खान नियंत्रक (मध्य), भारतीय खान ब्यूरो, नागपुर (महाराष्ट्र) –440001
- 2. संचालक, भौमिकी एवं खनिकर्म, छत्तीसगढ़ इंद्रावती भवन, द्वितीय तल, डी ब्लॉक, केपिट्ल कॉम्प्लेक्स, नया रायपुर, छत्तीसगढ़।
- 3. उप महानिदेशक (सांख्यिकी), भारतीय खान ब्यूरो, नागपुर (महाराष्ट्र) –440001
- 4. श्री आर0 आर0 पी0 अम्बस्था, ऐजेन्ट (मांईन्स), सर्वश्री हिन्डाल्को इंन्डस्ट्रीज़ लिमिटेड, सामरी मांईन्स डिविज़न, बाबा चौक, पोस्ट— कुसमी, जिला— बलरामपुर—रामानुजगंज (छत्तीसगढ), पिन कोड—497 224

(शैवाल कार्तिकेय) कनिष्ठ खनन भूविज्ञानी भारतीय खान ब्यूरो, रायपुर